प्रेस विज्ञप्ति

26.11.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), पटना आंचलिक कार्यालय ने पटना स्थित ठेकेदार रिशु श्री से जुड़े एक मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 25.11.2025 को अहमदाबाद, सूरत, गुड़गांव और नई दिल्ली में 09 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी अभियानों के दौरान, लगभग 33 लाख रुपये नकद, डिजिटल उपकरण, डायरी और कई अपराध संकेती दस्तावेज़ बरामद करके ज़ब्त किए गए हैं।

ईडी ने रिशु श्री और अन्य के खिलाफ विशेष सतर्कता इकाई (एसवीयू), बिहार द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की थी। रिशु श्री, जिनकी फर्में बिहार सरकार के विभिन्न विभागों जैसे जल संसाधन, स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग, शहरी विकास, बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम (बीयूआईडीसीओ), शिक्षा, भवन एवं निर्माण और ग्रामीण कार्य विभाग में ठेकेदार/उप-ठेकेदार के रूप में काम करती हैं, पर उनपर अवैध निजी हितों के लिए निविदाओं में सुविधा प्राप्त करने हेतु विभिन्न सरकारी अधिकारियों के साथ सांठगांठ रखने का आरोप है।

इससे पहले इस मामले में, पटना में कई ट्रैवल एजेंटों और कई सरकारी अधिकारियों के आवासीय परिसरों पर भी तलाशी अभियान चलाए गए थे। इन तलाशी अभियानों के परिणामस्वरूप कुल लगभग 11.64 करोड़ रुपये नकद, साथ ही विभिन्न अपराध संकेती दस्तावेज़ और डिजिटल साक्ष्य ज़ब्त किए गए थे। इसके अलावा, रिशु श्री, उनके परिवार के सदस्यों और संस्थाओं से संबंधित 68.09 करोड़ रुपये की संपत्ति को 01.08.2025 को अनंतिम रूप से कुर्क किया गया था।

आगे की जांच जारी है।